05/11/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। हमने वकील के वकील को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। आपत्ति मय आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जायेगा

उपखण्ड अधिकारी

शा०मि० किया गया। पत्रावली कौन्ल
शुमार होकर नम्बर से कम हो/बाद
पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी
[illegible] (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला-कोटपूतली बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामकिशोर मीना (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या :- 72 / 2025
दायर दिनांक :- 03.11.2025
निर्णय दिनांक :- 04/12/25

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी खेडकी, तहसील बहरोड़।
– प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, कार्यालय बहरोड़, तहसील बहरोड़.। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री आर.डी. ढीचानिया अधिवक्ता प्रार्थी।

-: निर्णय :-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकील प्रार्थी उपसिथत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही नाम राजन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी खेडकी तहसील बहरोड है और प्रार्थी के आधार स. 456302853803 एव पैन-DOIPR3405M है। प्रार्थी के राशन कार्ड मतदाता सूची,बिजली कनैक्शन बैक की पासबुक स्कूल की टी.सी. पेनकार्ड जनआधार कार्ड निर्वाचन पहचान कार्ड व भामाशाह कार्ड सभी में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र राजमीलाल दर्ज है और मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम खेडकी में ही प्रार्थी का राजेन्द्र के स्थान पर गिजेन्द्र दर्ज हो गया जो काबिल दुरूस्ती है। आराजी खसरा नम्बर 449,622,440,579,561,575,576,580,581,658 वाके ग्राम खेडकी प्रार्थी का नाम गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज है जो गलत है। और काबिज दुरूस्ती है। आराजी हाल खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम खेडकी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर विजेन्द्र दर्ज है तथा खसरा नम्बर 435,640 वाके ग्राम खेडकी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज है जो गलत है और काबिज दुरूस्ती है। राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल नाम का व्यक्ति गॉव में प्रार्थी अकेला व्यक्ति हूँ और गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल व विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल एवं गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल नाम का कोई व्यक्ति गॉव का कोई व्यक्ति गॉव में नही है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु मैने हल्का पटवारी व तहसीलदार साहब बहरोड़ से सम्पर्क किया तो उन्होने कहाँ कि उक्त दुरूस्ती श्रीमान के आदेशानसुार ही सम्भव है। इसलिऐ प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्षपेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 449, 622, 440, 579, 561, 575, 576, 580, 581, 658 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी में दर्ज गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल को कलमजन किया जावे एवं खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम ग्राम खेडकी की जमाबन्दी मे दर्ज विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल का नाम कलमजन किया जावे तथा खसरा नम्बर 435, 640 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी से गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल का सही नाम राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर तक सही है बाकी जमीन प्रार्थी स्वयं सिद्व करे। बाबत अंकित किया है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। जमाबन्दी संवत 2075–2078 (वर्ष 2020) विवादित आराजी खसरा नम्बर 449, 622, 440, 579, 561, 575, 576, 580, 581, 658 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी में गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल व आराजी खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम ग्राम खेडकी की जमाबन्दी मे विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल, खसरा नम्बर 435, 640 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग के प्रमाण पत्र प्राथी का नाम राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने सहखातेदार सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर व राजेश कुमार यादव पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी खेडकी तहसील बहरोड़ द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी का खातेदार राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी खेडकी है। जिसका जमाबन्दी में राजेन्द्र के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज है जो गलत है। राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल को गॉव में गजेन्द्र व राजेन्द्र के नाम से जानते है। गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ती नही है। उक्त दुयस्ती कराने की मै सहमती प्रदान करता हूँ। बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र में राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम विवादित खसरा नम्बर 449, 622, 440, 579, 561, 575, 576, 580, 581, 658 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी में गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल व आराजी खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम ग्राम खेडकी की जमाबन्दी मे विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल, खसरा नम्बर 435, 640 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल मुताबिक सह खातेदारो के शपथ पत्र व आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान के आधार पर दर्ज करवाना चाहती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः आदेश है कि खसरा नम्बर 449, 622, 440, 579, 561, 575, 576, 580, 581, 658 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी में गिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल व आराजी खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम ग्राम खेडकी की जमाबन्दी मे विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल, खसरा नम्बर 435, 640 वाके ग्राम खेडकी की जमाबन्दी गजेन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को अहकाम जारी किया जावे।

आज दिनाक 04/12/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)